(107) (16)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर.के.मिश्रा,

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1016-III/08 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-06-08 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म.प्र. प्रकरण क्रमांक 153/अपील/04-05.

राजेन्द्र सिंह तनय स्व. श्री गणेश प्रताप सिंह
निवासी ग्राम कवाड़ी टोला वांसघाट तहसील हुजूर जिला रीवा म.प्र.

.....निगराकार

बनाम

1. कुवरप्रमोद सिंह मृत वारिस-
   १क. प्रशान्त सिंह
   १ख. प्रफुल्ल सिंह दोनों के पिता स्व0 कुवरप्रमोद सिंह
   हाल निवास दुआरी तहसील हुजूर जिला रीवा
   १ग. श्रीमती पूनम सिंह पत्नी अजीसिंह सिंह
   पिता स्व0 कुवरप्रमोद सिंह
   निवासी ग्राम नौलस जिला इलाहाबाद उ0प्र0
   १घ. श्रीमती सीमा सिंह पत्नी शीवेन्द्र सिंह
   पिता स्व0 कुवरप्रमोद सिंह
   निवासी आकृति टाकीज के पास चित्रकूट हाउस के पीछे
   रीवा जिला रीवा म0प्र0
2. प्रसान्त पाण्डेय
3. प्रतुल पाण्डेय
4. प्रेरणा पाण्डेय पिसरान स्व0 रामानुज पाण्डेय
   निवासी रामकृष्ण मन्दिर के पास मउरिहन टोला
   उपरहटी रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0
5. श्रीमती मालती पाण्डेय पत्नी स्व0 श्री सच्चितानन्द पाण्डेय
6. ध्रवकुमार तनय स्व0 श्री सच्चितानन्द पाण्डेय
7. शिवाश कुमार तनय स्व0 श्री सच्चितानन्द पाण्डेय
   सभी निवासी उपरहटी रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

.....प्रत्यर्थीगण

श्री, कामता प्रसाद गुप्ता अधिवक्ता, आवेदक
श्री, दानवेन्द्र मिश्रा, अधिवक्ता, अनावेदक 2 एवं 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23/01/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, जिला रीवा म.प्र. द्वारा पारित दिनांक 30-06-08 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य यह है कि अनावेदक कुवर प्रमोद सिंह ने तहसीलदार नजूर के समक्ष आराजी नम्बर 17 एवं 18 स्थित ग्राम कबाडी मोहल्ल के रकबा 11000 वर्गफीट के नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि स्व. दलप्रताप सिंह के द्वारा पंजीकृत बसीयतनामा दिनांक 02-08-80 के आधार पर नामांतरण किया जाय। नजूल तहसीलदार रीवा ने दिनांक 05-10-02 को आदेश पारित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने नजूल अधिकारी रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की । नजूल अधिकारी ने आदेश दिनांक 02-02-2005 से अपील खारिज की। इसके विरूद्ध अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 153/अपील/04-05 दर्ज कर दिनांक 30-06-08 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर नजूल तहसीलदार ने विधिवत सूचना देने के उपरांत साक्ष्य लिये। विचारण न्यायालय में वसीयतनामा गवाहों द्वारा सिद्ध किया गया तथा सभी हितधारी व्यक्यिों को उनके हिस्से प्रदान किये गये हैं। तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच उपरांत नामांतरण आदेश पारित किया है। नजूल तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को नजूल अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखा गया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का

कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में ऐसे कोई नये तथ्य पेश नहीं किये है जिससे अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 30-6-2008 स्थिर रखा जाता है।

23/01/2019

(आर.के.मिश्रा)

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,

ग्वालियर